

नगर पालिका, आहोर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम २००९ की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.:

LSG/Ahore/FIRENOC/2025-26/52768

जारी दिनांक:

30-MAY-2025

वैधता दिनांक:

29-MAY-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती:

SECRETARY ARADHANA SHIKSHAN SANSTHAN HEERA
RAM

आवेदक का पता:

JAIN BASTI CHOUHATA GALI GUDABALOTAN TEH
AHORE

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन ARADHANA DEGREE COLLEGE AHORE, KHASRA NO 1301/912 AND 1342/1060, CHARLI ROAD AHORE, AHORE, JALORE, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वः निरस्त मानी जावेगी।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सक इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा
- उक्त स्थल पर तीन स्लिप में फायर कर्मचारी रखना अनिवार्य होंगे जिनको फायर संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त हो।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिस्पोरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- फायर उपकरण चालू नहीं होने की स्थिति में एवं अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण करने पर अगर उपकरण चालू स्थिति में नहीं पाए जाते हैं विभाग द्वारा निदेशालय स्तर से जारी गाइडलाइन के अनुसार जुर्माना लगाया जायेगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशाप पत्र निरस्त माना जाएगा



Signed by: Rakesh Kumar
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: Ahore, Rajasthan
Date: 30/05/2025 17:58:21

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, आहोर